

छत्तीसगढ़ शासन,  
जल संसाधन विभाग,  
मंत्रालय,  
महानदी भवन, अटल नगर  
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्र. 1776 / एफ-1-16 / 31 / एस-2 / 2019,  
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 08/04/2019

मुख्य अभियंता,  
महानदी गोदावरी कछार,  
जल संसाधन विभाग,  
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- महासमुंद जिले के विकासखण्ड-सराईपाली के पुटका जलाशय का पुर्ननिर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्र.अ. का पत्र क्र.-503/बो.प्र./प्रशा.स्वी./2019/1163, रायपुर, दि. 31.01.2019.

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा महासमुंद जिले के विकासखण्ड-सराईपाली के पुटका जलाशय का पुर्ननिर्माण कार्य हेतु लागत राशि रु.224.54 लाख (रूपये दो करोड़ चौबीस लाख चौवन हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान करता है कि राशि आहरण एवं निर्माण संबंधी संपूर्ण निविदा कार्य मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् अर्थात् दिनांक 23.04.2019 के पश्चात् किया जावेगा।

2. योजना से 120 हेक्टेयर खरीफ क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-75-जल संसाधन विभाग से संबंधित, नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं, लेखा शीर्ष-4702, लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {101}-सतही जल, 0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य), (9469) नाबार्ड से ऋण सहायता के अंतर्गत #97-निर्माण कार्य, 003 बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. छ.ग.शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय के वित्त निर्देश 25/2012 अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 11.03.2019 द्वारा सहमति प्राप्त है।
7. योजना की प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी करने के पूर्व मुख्य निवारचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्र.-03/चार/लो.स.चु./2019/3637, दिनांक 04.04.2019 द्वारा अनुमति प्राप्त की गई है।
8. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
9. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
10. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(याकुब खान) 15/4/19

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

(A) जल संसाधन विभाग

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
  2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
  3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
  4. अपर मुख्य सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
  5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
  6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
  7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
  8. कलेक्टर, जिला-महासमुंद (छ.ग.)।
  9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
  10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन रायपुर।
  11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
  12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग परिसर, रायपुर (छ.ग.)।
  13. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन एवं भू-जल सर्वेक्षण मंडल, रायपुर, जिला-रायपुर।
  14. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग रायपुर, जिला-रायपुर।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. आदेश फोल्डर।

संयुक्त सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग